रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2017/ पौष 27, 1938
No. 36] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2017/PAUSA 27, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 41(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 8 नवम्बर,2016 में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1050(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 8 नवम्बर, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं ।

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों के संबंध में जनता के प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 43क में "चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, कोचीन, न्हावा शेवा, कांडला, दिल्ली में तुगलकाबाद और पटपड़गंज, तमिलनाडु में तूतीकोरिन, गोवा में मारमुगाव पत्तन और

आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के अंतर्देशीय आधान डिपो: भारत में समुद्र मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की बाबत" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, कोचीन, न्हावा शेवा, कांडला, दिल्ली में तुगलकाबाद और पटपड़गंज के अंतर्देशीय आधान डिपो, तमिलनाडु में तूतीकोरिन, गोवा में मारमुगाव पत्तन, आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और कृष्णपट्टनम तथा गुजरात में हज़ीरा पत्तन और खोडियार, गांधीनगर अंतर्देशीय आधान डिपो: भारत में समुद्र मार्ग द्वारा आयातित ओषधियों की बाबत;"

[फा. सं. एक्स-11014/1/2015-डी.एफ.क्यू.सी.]

कुन्दन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्यांक एफ. 28-10/45-एच(1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 1041(अ), तारीख 4 नवम्बर 2016 द्वारा किया गया है ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfere)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2017

G.S.R. 41(E).— Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, was published, as required by section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), number G.S.R. 1050 (E), dated the 08th November, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 08th November, 2016, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette were made available to the public on 08th November, 2016;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:-

(1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (First Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2.In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 43-A, for the words "Chennai, Kolkata, Mumbai, Cochin, Nhava Sheva, Kandla, Inland Container Depots at Tuglakabad and Patparganj in Delhi, Tuticorin in Tamil Nadu, Marmugao port in Goa and Visakhapatnam in Andhra Pradesh: in respect of drugs imported by sea into India.", the following words shall be substituted, namely:-

"Chennai, Kolkata, Mumbai, Cochin, Nhava Sheva, Kandla, Inland Container Depots at Tuglakabad and Patparganj in Delhi, Tuticorin in Tamil Nadu, Marmugao port in Goa, Visakhapatnam and Krishnapatnam port in Andhra Pradesh and Hazira port and Inland Container Depot Khohdiyar, Gandhinagar in Gujarat: in respect of drugs imported by sea into India;"

[F. No. X.-11014/1/2015-DFQC]
K. L. SHARMA, Jt. Secy.

Foonote.- The principal rules were published in the Official Gazette vide notification number F.28-10/45-H (1), dated the 21st December, 1945 and last amended vide notification number G.S.R. 1041(E), dated the 4th November 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.01.18 23:27:15 +05'30'